



North Carolina Department
of Commerce Division of
Employment Security Unemployment Insurance



यह सुनवायी में स्वयं उपस्थित होने की सूचना का एक नमूना है। यह आपको सूचित करेगा कि सुनवाई के लिए कहां और कब रिपोर्टिंग की जानी है, सुनवाई कौन कर रहा है, और किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

___के मामले में:

अपील डॉकेट नंबर [#####]

दावेदार

नियोक्ता

नाम

नाम

पता

पता

शहर, राज्य, ज़िप

शहर, राज्य, ज़िप

दावेदार: (प्रथम) (अंतिम)

तिथि (DATE) को, <दावेदार/नियोक्ता> ने निर्णायक, डॉकेट नंबर ##### द्वारा निर्धारण पर एक अपील दायर की। अपील रेफ़री एक साक्ष्य संबंधी सुनवाई आयोजित करेंगे और नीचे दिए गए मामले (मामलों) पर निर्णय लेंगे। यदि दर्शाया गया मामला (मामले), निर्णायक द्वारा तय किए गए मामले (मामलों) से भिन्न है, तो आप सुनवायी के दौरान आपत्ति कर सकते हैं, और अपील रेफ़री साक्ष्य की सुनवायी नहीं करेंगे किसी भी उस मामले (मामलों) को जिस पर आपने आपत्ति की है, सुनवायी के लिए आपको अतिरिक्त लिखित नोटिस के बिना या लिखित नोटिस की छूट देते हुए फ़ैसला लेंगे।

जब आप सुनवाई के लिए रिपोर्ट करें, तो लाइन में खड़े न हों। रिसेप्शनिस्ट को बताएं कि आप यहाँ एक सुनवाई हेतु आए हैं।

सुनवायी का स्थान: (पता)

(शहर, राज्य, ज़िप)

सुनवायी की तिथि: (दिन, तिथि: माह तिथि वर्ष)

सुनवायी का समय: (घंटे:मिनट पूर्वान्ह/अपरान्ह ईएसटी/ईडीटी) कार्यवृत्त (##) के लिए।

अपील रेफ़री: (नाम)

Help us prevent UI Fraud by responding timely and accurately to requests for information



North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance



टेलीफ़ोन: (XXX) XXX-XXXX फ़ैक्स (XXX) XXX-XXXX

ईमेल: (NAME.NAME@NCCOMMERCE.COM)

सुनवायी हेतु मामला (मामले):

क्या दावेदार:

टेक्स्ट बॉक्स 1- 4000 अक्षर

1. इस सेक्शन में उन मामलों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर सुनवायी के दौरान चर्चा की जाएगी।
- 2.
- 3.

मेल भेजने की तिथि : माह/दिन/वर्ष

अधिक जानकारी के लिए पृष्ठ के पीछे की ओर देखें

सुनवायी में स्वयं उपस्थित होने का नोटिस

कृपया "एक प्रारंभिक निर्धारण अपील कैसे करें और एक सुनवायी में भागीदारी किस प्रकार करें" पम्फ़लेट को देखें, यह पहले आपको भेजा जा चुका है। पम्फ़लेट और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs), [DES Website at www.ncesc.com](http://www.ncesc.com) पर उपलब्ध हैं।

महत्वपूर्ण: आपकी सुनवाई के लिए समय पर पहुँचें। यदि अपील करने वाले पक्ष को किसी स्वयं उपस्थित होने वाली सुनवायी में 10 मिनट से अधिक का विलम्ब हो जाता है तो अपील रैफ़री अपील को खारिज कर सकते हैं अन्य प्रतिभागियों को जाने के लिए कह सकते हैं। यदि अपील न करने वाले पक्ष को 10 मिनट से अधिक विलम्ब हो जाता है तो सुनवायी का कार्यवाही उनके बिना की जा सकती है।

साक्ष्य किस प्रकार पेश करें: शपथ लेना आवश्यक होता है। यदि आप गवाहों से गवाही दिलवाना चाहते हैं, तो आपको सुनवाई में ऐसा करना चाहिए। यदि आपके पास ऐसे दस्तावेज़, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग या अन्य साक्ष्य हैं जिन पर आप चाहते हैं कि अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान विचार किया जा, तो आप ये सुनवायी अधिकारी और प्रत्येक पक्ष को आवश्यक रूप से मेल द्वारा या पहुँचा अवश्य दें। सुनवायी से पहले साक्ष्य अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

ड्रग और/या अल्कोहल के कारण पृथक हो जाना: किसी भी परीक्षण और इसके परिणामों को साबित करने या उसे खारिज करने के लिए साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य में काम करने के नियम और/या नीतियों को भी शामिल करना चाहिए। उत्तर कैरोलिना में, (कंट्रोल्ड सबस्टेंस एग्ज़ामिनेशन रेग्युलेशन एक्ट) Controlled Substance Examination Regulation Act, N.C.G.S. 95-230 et seq., में यह अपेक्षित है कि जब तक कि यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन या

Help us prevent UI Fraud by responding timely and accurately to requests for information



North Carolina Department of Commerce
Division of Employment Security
Unemployment Insurance



न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा परीक्षण का संचालन न किया जाए, तब तक परीक्षणों द्वारा अपनी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाए। एक प्रतिरोधित दावा सुनवाई में संघीय या राज्य कानून द्वारा आवश्यक सभी परीक्षण या पुनर्परीक्षणों के साथ अनुपालन को साबित करने के लिए नियंत्रित पदार्थ परीक्षण परिणाम, अभिरक्षा और/या सभी परीक्षणों की श्रृंखला को, एक प्रयोगशाला प्रतिनिधि द्वारा जीव गवाही के बजाय, प्रयोगशालाओं के अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से एक हलफनामा प्रस्तुत किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान या हलफनामे के जरिए दावेदार उनको स्वीकार करता है या उनके प्रति आश्वासन देता है तो परीक्षण के परिणाम स्वीकृत समझे जा सकते हैं। सुनवाई अधिकारी को सौंपे गए सभी दस्तावेज़ सुनवाई से पहले अन्य पक्ष को भी प्रदान किए जाने चाहिए। यदि आपके कोई प्रश्न हैं, चीफ़ अपील रेफरी से संपर्क करें।

स्थगन: सुनवायी की तिथि, समय या स्थान बदलने के लिए कोई भी अनुरोध अपील रेफरी से किया जाना चाहिए।

क़ानूनी प्रतिनिधित्व: कोई भी दावेदार या नियोक्ता अपनी अपील दायर कर सकते हैं और प्रशासनिक अपील की पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वयं का (अपनी ओर से) प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या अपील दायर करने के लिए एक कानूनी प्रतिनिधि कर सकते हैं और प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। क़ानूनी प्रतिनिधियों को किसी भी प्रशासनिक सुनवाई या समीक्षा से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। एक कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें एक नियोक्ता के बेरोजगारी बीमा प्रशासक के रूप में सेवा कर रहा तृतीय पक्ष शामिल है) एक लाइसेंस प्राप्त एटॉर्नी, या एन.सी. जी.एस. चैप्टर 84 और सेक्शन 96-17 (बी) के अनुसार एक लाइसेंस प्राप्त एटॉर्नी द्वारा पर्यवेक्षित व्यक्ति होना चाहिए। एटॉर्नी के पर्यवेक्षण के नोटिस और/या प्रमाणन लिखित रूप में होने चाहिए।

सम्मन: अपील रेफरी सुनवायी के लिए प्रासंगिक गवाहों और दस्तावेजों के लिए सम्मन जारी कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके अनुरोध करें, ताकि सम्मन सुनवाई से पहले जारी किए जा सकें। क़ानूनी प्रतिनिधि अपने स्वयं के खर्चों और विवेक पर सम्मन जारी कर सकते हैं।

संपर्क: NC Department of Commerce, Division of Employment Security, Appeals Section, PO Box 25903, Raleigh, NC 27611-50 903

फ़ेसीमेल: (919) 733-1228 *phone: (919)707-1060* des.public.appeals@mccommerce.com

यदि आप अपने मामले के बारे में लिखते हैं या कॉल करते हैं, तो कृपया दावेदार का पूरा नाम, दावेदार का सोशल सिक्योरिटी नम्बर के अंतिम चार अंक और अपील डॉकेट नंबर दें।

Help us prevent UI Fraud by responding timely and accurately to requests for information